



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

27 FALGUN, 1944 (S)

No. 164

RANCHI, SATURDAY 18th MARCH, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
14th March, 2023

Notification No.- 15/2022 – State Tax(Rate)

S.O. No. 11, Dated 14th March, 2023:- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification,

(i) against S. No. 12, in column (3), after the entry, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation. - For the purpose of exemption under this entry, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person where, –

- (i) the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence; and
(ii) such renting is on his own account and not that of the proprietorship concern.”;
(ii) S. No. 23A and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 01st day of January, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Principal Secretary,
Commercial taxes Department

Note: The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and last amended by notification No. 04/2022 - State Tax (Rate), dated the 23th August, 2022 vide S.O. No. 25, dated the 23th August, 2022.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 15/2022- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 11, दिनांक 14 मार्च, 2023 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1) और उप धारा (3), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर दर, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“स्पष्टीकरण: - इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी जहाँ कि -

- (i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है; और
 - (ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।";
- (ii) क्रम संख्या 23क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

प्रधान सचिव

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2022- राज्य कर (दर), दिनांक 23 अगस्त, 2022, एस. ओ. सं. 25, दिनांक 23 अगस्त, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
